


Govt. P. G. College, Agastyamuni  
Admission Session 2022 -2023  
Fourth Merit List (ZBC)

GENERAL OPEN CANDIDATES

S.No	APPNO	Name	FatherName	Category	Gender	Inter Passing Year	Gap	Marks obtained	Deduction @5%/Year	Weightage	Inter %	Index
1	221793	PRIYANSHI	BEERBHADRA SINGH	GEN	F	2021	1 Year	349	17.45	0	69.8	331.55
2	221319	SAKSHI BISHT	JAYBEER SINGH BISHT	GEN	F	2022	0	330	0	0	66	330
3	220273	VIPIN SINGH	RAGHUVEER SINGH	GEN	M	2022	0	330	0	0	66	330
4	222020	AMISHA	MADAN SINGH	GEN	F	2022	0	329	0	0	65.8	329

1. सत्र 2022-23 में बी0ए0/बी0एस्0-सी0/बी0कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आनलाईन भरे आवेदन पत्रों की जॉब के आधार पर कक्षा में प्रवेश दिए जाने हेतु प्रथम मेरिट सूची तैयार की गई है।
2. प्रथम सेमेस्टर के मेरिट सूची में चयनित छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु साक्षात्कार दिनांक 13 सितम्बर से 14 सितम्बर 2022, समय 10.00 बजे से 2.00 बजे तक आयोजित होंगे।
3. प्रवेश हेतु सभी छात्र/छात्राएँ अपने समस्त वास्तविक मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा स्व-प्रमाणित (फॉटोकोपी) प्रति के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।
4. जिन छात्र/छात्राओं के ओबी0सी0 प्रमाण पत्र अगस्त 2019 से पूर्व के हैं, वे नवीन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की रसीद साक्षात्कार के समय आवश्यक रूप से लेकर आयें।
5. गैप ईयर वाले छात्र/छात्राएँ गैप ईयर का शपथ पत्र / प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साथ लेकर आयें।
6. साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र में छात्र/छात्रा द्वारा दी गई जानकारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अथवा गलत जानकारी दिये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी।
7. जिन छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र / माइग्रेशन/स्थायी निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था में दिये गये हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं, वे निर्धारित समयावधि में अथवा सम्बन्धित प्रमाण पत्र महाविद्यालय कार्यालय / विभाग में आवश्यक रूप से जमा कर दें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जमा न कर पाने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन / प्रवेश समिति ऐसे छात्रों का प्रवेश निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।
8. प्रवेश एवं साक्षात्कार के समय सभी छात्र/छात्राओं के लिए कोविड-19 के संकमण की रोकथाम हेतु शासन द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करना होगा।

  
प्रतिहस्ताक्षरित प्राचार्य

  
संयोजक